



उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

पत्रांक 60 / उ०नि०लि० / मु०म०प्र०(वित्त)

दिनांक: जून 29, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं० 318 दिनांक 03.08.2010 द्वारा आदेशित अनुरक्षण एवं परिचालन मद में भुगतान की नवीन प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना प्रमुख द्वारा प्राथमिकता अतिक्रमित कर भुगतान किये जाने के सापेक्ष आदेश संख्या 182/उ०नि०लि०/मु०म०प्र०(वित्त) दिनांक 19.02.2011 द्वारा निर्धारित अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा को एतद्वारा संशोधित कर निम्न आदेश किये जाते हैं :-

"प्राथमिकता अतिक्रमित कर भुगतान किये जाने हेतु किये जाने वाले आदेशों की राशि सम्बंधित परियोजना हेतु निर्धारित अनुरक्षण एवं परिचालन मद की मासिक धनराशि की 25 प्रतिशत सीमा तक के अन्तर्गत ही सीमित रखा जाये तथा प्राथमिकता कम अतिक्रमित करने का पूर्ण औचित्य एवं प्राथमिकता कम संख्या संदर्भ भी ऐसे आदेशों में अवश्य दिया जाये।"

यह संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा तथा अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे। दो माह पश्चात् स्थिति का पुर्नआंकलन किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 60 / उ०नि०लि० / मु०म०प्र०(वित्त) तददिनांक: 29.6.12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री डी० एन० बाजपेयी, सलाहकार (तकनीकी), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं II), पी०पी०एम०एम०/आर०एण्डएम०/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/मा०सं०/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य, उ०नि०लि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं II), अनपरा 'अ' एवं 'ब'/ओबरा 'अ' एवं 'ब'/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना, उ०नि०लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/ पनकी (कानपुर)।
4. महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक/उप मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा 'अ' एवं 'ब'/ओबरा 'अ' एवं 'ब'/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना, उ०नि०लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/ पनकी (कानपुर)।

(एम० सी० पाल)
उप महाप्रबन्धक (वित्त)